# केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार)

परिवेश भवन,ईस्ट अर्जुन नगर

दिल्ली-110032


फ.सं. सी-22011/03/ 2020-प्रशा.(का.)/1199 दिनाँक: 06.01.2021

<u>**कार्यालय ज्ञापन**</u>

**विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के अंतर्गत अगली वेतन वृद्धि के आहरण के संबंध में।**

7वें सीपीसी की अनुशंसा को लागू किए जाने के फलस्वरूप, यदि किसी कर्मचारी को दिनांक 1 जुलाई, 2016 को पदोन्नत किया गया था अथवा एमएसीपी के अंतर्गत स्तरोन्नयन सहित वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान किया गया था, उसका वेतन पदोन्नति के लिए अधिशासित होने वाले सरकारी नियमों के अनुसार उसके वेतन का निर्धारण किया गया था, ऐसे मामलों में अगली वेतन वृद्धि की तिथि (डीएनआई) के मुद्दे पर विभिन्न संदेह उत्पन्न हो गए।

02. उपर्युक्त मुद्दे पर वित्त मंत्रालय/ व्यय विभाग के दिनांक 31.04.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4-21/2017-आईसी/ई।।।(ए) के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था। उपर्युक्त के क्रम में, वित्त मंत्रालय/ व्यय विभाग के द्वारा दिनांक 29.10.2019 और दिनांक 28.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-21/2017-आईसी/ई॥।(ए) के माध्यम से भी निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया गया है:-

**मुद्दा संख्या 1:** 1 जुलाई को पदोन्नत और दो वेतनवृद्धियों के साथ वेतन के निर्धारण के पश्चात क्या अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी होगी अथवा 1 जुलाई।

**स्पष्टीकरण:** 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई को पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन (एमएसीपी) होने और जिस पद पर पदोन्नति दी गई है, उस पद के लिए लागू वेतन स्तर में सीसीएस (आरपी) नियमावली 2016 के नियम 13 के अनुसार वेतन निर्धारण प्राप्त करने पर, पदोन्नत पद के स्तर में पहली वेतनवृद्धि, यथास्थिति, अगली 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई, को देय होगी बशर्ते छह माह की अर्हक सेवा अवधि पूरी की गई हो।

**अगला प्रष्ट ...2**

**मुद्दा संख्या 2:** किसी कर्मचारी की वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख से भिन्न किसी अन्य तारीख को नियमित पदोन्नति/ वित्तीय उन्नयन के मामलें में अगली वेतनवृद्धि और वेतन- निर्धारण के विकल्प का प्रयोग, मूल नियम 22(I) (क)(I) के तहत किया जाता है।

**स्पष्टीकरण:** कर्मचारी के लिए मूल नियम 22(I) (क)(I) के तहत वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग अवसर पदोन्नति/ वित्तीय उन्नयन के मामलें में उपलब्ध है। अतः केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी जो निचले ग्रेड में उसकी वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख से भिन्न किसी अन्य तारीख को नियमित आधार पर पदोन्नत/ वित्तीय उन्नयन प्राप्त करता है, और जो निचले ग्रेड में वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की देयता की तारीख से वेतन निर्धारण के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.07.2017 के तहत कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/02/2017-स्था.(वेतन-I) के साथ पठित मूल नियम 22(I)(क)(I) के तहत विकल्प का चयन करता है, उसे व्यय विभाग के दिनांक 31.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई/ 1 जनवरी (निचले ग्रेड वेतन में वेतनवृद्धि की तारीख) को ऐसे निर्धारण के बाद 6 माह की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात 1 जनवरी/ 1 जुलाई, जो भी मामला हो, को पदोन्नत ग्रेड में पहली वेतनवृद्धि दी जाए। तथापि, उसके बाद की अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष पूरा होने के बाद ही दी जाएगी।

3. वित्त मंत्रालय/ व्यय विभाग के द्वारा जारी उपर्युक्त स्पष्टीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों पर भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

4. वित्त मंत्रालय/ व्यय विभाग के दिनांक 28.11.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऐसे कर्मचारियों को जिन्हे 01.01.2016 को या इसके बाद नियमित पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन दिया गया है और जो मूल नियम 22(I)(क)(I) के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प चुनना/ पुनः चुनना चाहते है, उन्हे इसके तहत विकल्प चुनने या पुनः चुनने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा विकल्प इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के एक माह के भीतर चुनना होगा।

5. यह कार्यालय ज्ञापन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुनील कुमार आनंद)
प्रशासनिक अधिकारी (का.)

वितरण:

1. सूचना पट्ट
2. प्रभाग प्रभारी, सूचना प्रद्योगिकी : केंदीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभाग प्रभारी : इसको सभी कर्मचारियों को परिचालित करने हेतु।
4. कार्यालय आदेश फाइल
5. मास्टर फाइल

# CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

**(Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)**

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,

Delhi – 110032.

F. No. C-22011/03/2020-Admn.(P)/1199 Dated: 06.01.2021

**Office Memorandum**

**Sub: Drawal of next increment under Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016- regarding**

Consequent to implantation of 7th CPC recommendation, various doubts have arisen over the issue of Date of Next Increment (DNI) in case of an employee promoted or granted financial Upgradation including Upgradation under MACP on 1st July, 2016, whose pay was fixed on 01.07.2016 in terms of the rules governing fixation of pay on promotion.

2. Clarification on the above issue was provided by Ministry of Finance/ Department of Expenditure vide their OM No. 4-21/2017-IC/E.III(A) dated 31.07.2018. In continuation to above, Ministry of Finance/Department of Expenditure vide their OM NO 4-21/2017-IC/E.III(A) dated 29.10.2019 and dated 28.11.2019 has provided further clarifications on the following issues:-

**Issue No 1:** Whether after promotion on 1st July and fixation of pay with two increments the date of next increment will be 1st January or 1st July.

**Clarification:** In case of promotion /financial Upgradation (MACP) on 1st july and 1st January and getting fixation of pay in the Level applicable to the post in which promotion is made in accordance with Rule 13 of the CCS (RP) Rules 2016, the first increment in the level in which promotion is made shall accrue in the following 1st January or 1st July, as the case may be, provided a period of 6 months' qualifying services is fulfilled.

**Issue No 2:** Accrual of next increment in case of regular promotion/ financial up-gradation of an employee on any date other than the date of annual increment and option for fixation of pay is exercised under FR 22(I) (A) (I).

**Clarification:** The opportunity to exercise of option for pay fixation under FR 22(I) (a)(I) is available to employees in case of promotional/financial Upgradation. Therefore, the central Government Employee promoted on regular basis/ granted financial up-gradation on any date other than the date of his/her annual increment in lower grade and exercise the option under FR 22(I) (a)(I) read with Department of Personnel & Training OM No 13/02/2017-Estt. (Pay-I) dated 27.07.2017 for fixation of pay from the date of accrual of next increment in the scale of pay in lower grade, he may be allowed the 1st increment in promotional grade on 1st January/1st July as the case may be after completion of 6 months' qualifying service after such fixation on 1st July/1st January ( i.e the date of increment in lower grade) on the analogy of Department of Expenditure's OM dated 31.07.2018. The next increment thereafter shall however accrue only after completion of one year.

3. The clarification issued by Ministry of Finance/ Department of Expenditure as mentioned above shall be applicable mutatis mutandis CPCB employees too.

4. In compliance to OM of even number dated 28.11.2019 of Ministry of Finance/ Department of Expenditure the employees of CPCB who have been regularly promoted or granted financial up-gradation on or after 01.01.2016 and desire to exercise/re-exercise option for pay fixation under FR 22 (I) (a) (I) shall be given an opportunity to exercise or re-exercise of the option there under. Such an option shall exercised within one month of issue of this OM.

5. This issues with the approval of Competent Authority, Central Pollution Control Board.

(Sunil Kumar Anand)
Administrative Officer (P)

Distribution

1. Notice board
2. Divisional Head, IT Division : To upload on CPCB site
3. Regional Director/Divisional Head : to circulate among all staff
4. Office Order file
5. Master file